नम्बर व
अहकाम
हुक्म की
जारी

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कामां (भरतपुर)

व इजलास श्री जगन लाल मीणा R.A.S.

मुकदमा नं0. 21 / 15

ओमप्रकाश पुत्र सुक्खीराम कौम ब्रा0 निवासी कोट उपर कामां तहसील कामां

(मृतक)

1/1 शन्ति स्वरूप पुत्र ओमप्रकाश
1/2 लेखराज पुत्र ओमप्रकाश
1/3 कृष्णादेवी पत्नि ओमप्रकाश
1/4 ललिता पुत्री ओमप्रकाश
1/5 [illegible] पुत्री ओमप्रकाश जाति ब्रा0 निवासी कामां जिला भरतपुर

वादीगण

बनाम

परमलाल पुत्र भूरन राम कौम गडरिया निवासी श्रोतिया मौहल्ला कामां

दावा अन्तर्गत धारा 186 राज0 काश्त कारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक 27.9.2017

वादी अधिवक्ता द्वारा दावा अन्तर्गत धारा 188 आर0टी0एक्ट अधिनियम के तहत पेश किया कि आ0ख0नं0 514 / 0.65 एयर वाके कस्बा कामां नं0 3 तहसील कामां में स्थित है वादी व उसका भाई श्यामबाबू खातेदार काश्तकार काबिज आराजी है वादी के पूर्वजों के समय का पुख्ता कुआ है जिससे वादी अपनी अ राजी खसरा नम्बरान की सिचाई करते हैं तथा अपना जीवनयापन करते हैं । खसरा नम्बर 5140 / 0.65 के पास ही आराजी खसरा नम्बर 6992 / 5134 रकवा 0.41 प्रतिवादी परमलाल व अन्य व्यक्तियों की सहखातेदारी में बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के गहराई में बोर लगाना चाहता है जो कि गैर कानूनी है किसी भी पूर्ववर्ती कुआ व बोरिंग से 200 मीटर की दूरी पर ही नये कुआ व बोरिंग का निर्माण किया जा सकता है । वादी गण अपने पुख्ता कुआ से अपने बुजुर्गो के समय से ही अपनी भूमि की सिचाई करते चले आ रहे हैं । बोर करने से मना किया तो वादी द्वारा दिनांक 11.5.2015 को ही एक प्रार्थना पत्र तहसीलदार कामां के यहां बोरिंग को रूकवाने बावत पेश किया जिस पर तहसीलदार कामां द्वारा पटवारी हल्का को मौके पर भेजा मौके पर प्रतिवादी बोरिंग करते हुए पाया पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट तहसीलदार कामां के यहां पेश कर दी लेकिन प्रतिवादी बोरिंग करने बाज नहीं आ रहा है । प्रतिवादी द्वारा दिनांक 11.5.2015 को वादी को धमकी दी है कि मैं अपने बोर को उसी स्थान पर करके रहूंगा आप पर बने जो करो । वादी प्रतिवादी की धमकी से भयभीत है अगर प्रतिवादी अपने धमकी भरे इरादे में कामयाब हो गया और वादी के पुख्ता कुआ के समीप गहराई में बोर कर लिया तो वादी के कुआ व जलस्तर समाप्त हो जावेगा। और वादी अपनी भूमि की सिंचाई करनेसे महरूम हो जावेगा । जिसकी क्षति पूर्ति जर्रे नकद से कदापि सम्भवस न हो सकेगी विदि वजह वादी दावीदार और प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेघाज्ञा पाबन्द करा पाने के अधिकारी है ।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया । तथा प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया । प्रतिवादी ने उपस्थित होकर जबाव पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर

उपखण्ड अधिकारी
कामा (भरतपुर) राज0

6992/5134/0.41 में काफी पुराना बोरिंग लगा हुआ है जो कि वादी की आराजी से काफी दूर है । प्रतिवादी द्वारा उक्त बोरिंग पर बोरिंग की सुरक्षा के लिए एक कोठरी बनायी हुई है । तथा उसमें सिंचाई का कनैक्शन लेना चाहते हैं । विधिवत रूप से विद्युत विभाग द्वारा सिंचाई कनैक्शन की कार्यवाही की गयी । लेकिन वादी रंजिश वशं प्रतिवादी के विद्युत कनैक्शन को रूकवाना चाहता है । और अपने मकसद में कामयाब होने के लिए झूठे व मनगढन्त तथ्यों के आधार पर उक्त उनवानी का मुकदमा न्यायालय के समक्ष अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र के साथ पेश किा है जिसमें न्यायालय श्रीमान जी से सही तथ्यों को छिपाते हुए व मनगढन्त तथ्यों के आधार पर राजस्व रिकार्ड व मौके की स्थिति का स्थगनआदेश जारी. करा लिया है और उक्त स्थगन आदेश की आड में विद्युत विभाग कर्मचारियों को डरा धमका रहा है तथा प्रतिवादी के विद्युत कनैक्शन को रूकवा दिया है जिसका कि वादी को कोई अधिकार नहीं है । वादी व प्रतिवादी की आराजी भूमिक के आस पास की कृषि भूमि वाले सभी काश्तकारों ने अपने अपने आराजी मे बोर लगाये हुए है । रंजिश वश उक्त मुकदमा पेश किया गया हैं और बार बार राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों को वादी झूठी शिकायत करता है । और प्रतिवादी को परेशान करवाता है । बोरिंग काफी पुराना लगा हुआ है यदि प्रतिवादी को अपने बोरिंग से पानी नहीं लेने दिया जाता है तो प्रतिवादी के अधिकारों पर कुठाराघात होगा और नुकसान अजीम होगा । तथा यदि विद्युत विभाग द्वारा प्रतिवादी को कनैक्शन नहीं दिया जाता है तो प्रतिवादी को बहुत ज्यादा नुकसान होगा तथा उसकी फसल सूख जावेगी । और उसके परिवार को भूखों करने की नौबत आ जायेगी । प्रतिवादी की आराजी नहर के पास आयी हुयी है नहर में हमेशा पानी चलता रहता है जिससे जल स्तर उंचा होता रहता है । इससे किसी भी प्रकार का कोई दुस्प्रभाव नहीं पडेगा । जलदाय विभाग द्वारा भी चार बोर लगाये हुये है। जिससे सभी कामां शहर के लिए पानी सिंच ई की आपूर्ति की जा रही है । वैसे प्रतिवादी का बोर वादी के कुआ से 200 मीटर की दूरी पर स्थित है । जिस समय वादी के कुआ का निर्माण किया हुआ था उसी समय प्रतिवादी ने अपना बोर लगाया था उस समय ना तो वादी कोई आपत्ति की और ना ही प्रतिवादी ने कोई आपत्ति की । वादी मात्र विद्युत कनैक्शन को रंजिश वश रूकवाना चाहता हैं। जिससे कि वादी को कोई अधिकार नहीं है । दावा वादी काबिले खारिजी है । दावा व जबाव दावे के आधार पर निम्न तनकी कायम की गयी :—

1— आया वादी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 5140/0.65 है0 वाके ग्राम कामां नं0 3 में स्थित है जिसमें वादी के पूवर्जो के समय का पुख्ता कुआ बना हुआ है ।

2— आया प्रतिवादी अपनी खातेदारी भूमि 6992/5134 रकवा 0.41 है.0 में वादी की भूमि से 200. मीटर के अन्दर बोर लगाना चाहता है ।

3—आया बिना सक्षम अधिकारी के अनुमति के न ा बोर नहीं लगाया जा सकता है ।

4—आया प्रतिवादी द्वारा नवीन बोर करने में वादी के कुआ का जलस्तर समाप्त हो जायेगा । एवं वादी को अपूर्णनीय क्षति होगी ।

5— आया प्रतिवादी को खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 6992/5134 रकवा 0.41 है.0 में पुराना बोर लगा हुआ है । जो वादी की आराजी से काफी दूर है ।

6— अनुतोष

प्रतिवादी द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिनांक 6.9.2017को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त प्रकरण पत्रावली साक्ष्य में विचाराधीन है एवं प्रकरण अभी और लम्बा खिचने के आसार है । ऐसी स्थिति में मेरी फसल खराब हो रही है एवं पूर्व में भी कई फसल खराब हो चुकी है । प्रार्थी गरीब आदमी है । कृषि के अलावा कोई आय का साधन नहीं है । राजस्व रिकार्ड में यथास्थिति का स्थगन आदेश ले रखा है जिसके कारण विद्युत विभाग कृषि विद्युत कनैक्शन नहीं लगा रहे हैं । फसल कई बार खराब हो चुकी है । एवं आगे भी बिना पानी फसल खराब होने के आसार है। एवं विद्युत विभाग को भी पक्षकार नहीं बनाया गया है । ऐसी स्थिति में कृषि विद्युत कनैक्शन लगाया जाना अतियत्न आवश्यक है । खसरा नम्बर 6992/5134 रकवा 0.41 है.0 वाके कस्वा कामां नं0 3 कृषि विद्युत कनैक्शन लगाये जाने के आदेश दिये जाने की कृपा करें । प्रार्थना पत्र पर बहस हुयी । जिसमें वादी बकील ने बिना स्वीकृति बोर लगाने बावत कहा है । तथा दावे के तथ्यों को दोहराया । प्रतिवादी बकील ने कहा कि प्रतिवादी को बोर 200 मीटर से दूर है । तथा इनकी बोर से कोई लेना देना नहीं है यह रजिश वश विद्युत कनैक्शन नही करने देना

चाहते है । जिसके कारण प्रतिवादी की फसल हर साल सूख जाती है तथा काफी नुकसान होता है । तथा प्रार्थना पत्र तथा जबाव दावे में लिखित तथ्यों को दोहराया ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया । तथा उपलब्ध दस्तावेजा का अवलोकन किया गया । प्रतिवादी द्वारा बोर अपनी खातेदारी खसरा नम्बर 6992/5134 रकवा 0.41 है.0 वाके कस्बा कामां नं0 3 की आराजी में ही लगा रखा है । जिससे फसल की सिंचाई की जाती है । जो उसकी आजीविका का साधन है । वादी की आराजी से दूर है । जिसे बोर पर विद्युत कनैक्शन से रोक लगाना उचित प्रतीत नहीं होता है ।

अतः वादी का दावा बोर लगाने व विद्युत कनैक्शन से सम्बन्धित होने के कारण खारिज किया जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 27.9.2017 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(जगन लाल मीणा)
सहायक कलक्टर
एवंउपखण्ड अधिकारी
कामां भरतपुर